



# केन्द्रीय रेशम बोर्ड/ CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार), केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला/  
(Ministry of Textiles - Govt. of India), CSB Complex, BTM Layout, Madivala  
बेंगलूरु / BENGALURU – 560068

Email : [jdfinance.csb@nic.in](mailto:jdfinance.csb@nic.in)

फैक्स/Fax: 080: 26781458

दूरभाष/Tel: 080-26282305/304/303

NO.CSB-1[41]/2016-2017/IT-BILLS

DATED : 27.03.2017

## C I R C U L A R

Sub:- Income Tax for the Financial Year 2016-2017  
Clarification from ITO on certain exemption – reg.  
#####


In continuation of this office circular of even number dated 06.10.2016, it is brought to the notice of all the employees that the Income Tax Officer, Income Tax Department, Bangalore has given further guidance on referring the issue of allowing certain deductions under Income Tax Act while computing the Income Tax as detailed below:-

1] In respect of Interest on borrowed loan [u/s 24[b], the actual interest paid / payable whichever is less is deductible. In respect of the difference of interest as given in provisional certificate and the actual interest paid / payable to the bank, the individual assessee should pay the difference of Income Tax before filing the Annual Return under intimation to this Office. It is the responsibility of the individual assessee to file the IT returns only after confirming the actual payment of interest and accordingly pay the income tax, if any, without fail. PAN number of Financial Institution from where the loan was obtained is necessary to file 4<sup>th</sup> quarterly return. Hence, it is requested to submit the same immediately to office.

2] An assessee referred to in section **80CCD[1]**, shall be allowed a deduction of Rs.50,000/- in computation of his total income, whether or not any deduction is allowed under sub-section [1], of the whole of the amount paid or deposited in the previous year in his account under a pension scheme notified by the Central Govt., Provided that no deduction under sub section shall be allowed in respect of the amount on which a deduction has been claimed and allowed under sub section 1.

3] Exemption allowed under Section **80-D** for **Health Insurance Premium** / Medical Insurance **Premium** paid upto Rs.25,000/- is deductible. Service tax paid for the premium is not exempted.

4] Exemption is allowed under Section **80-E** for actual Interest repaid on loan taken from Financial / Charitable institutions for **self / spouse / children** for pursuing higher education [for a max. period of 8 years].

  
[CA MANOHARAN. A]  
JOINT DIRECTOR [FINANCE]

To

All the officers / officials working in C.O., CSB, Bangalore through the Notice Board.

✓ All the delegation units of CSB through CSB website for needful action.



# केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार), केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला/  
(Ministry of Textiles - Govt. of India), CSB Complex, BTM Layout, Madivala

बेंगलूरु / BENGALURU – 560068

Email : jdfinance.csb@nic.in

फैक्स/Fax: 080: 26781458

दूरभाष/Tel: 080-

26282305/304/303

सं. केरेबो-1(41)/2016-2017/आयकर-बिल

दिनांक : 27.03.2017

## परिपत्र

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर – आयकर कार्यालय से कुछ छूट संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में ।

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.10.2016 के क्रम में, सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, बेंगलूरु ने आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौती की अनुमति देने के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन दिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

- 1] उधार के ऋण पर ब्याज के संबंध में [24 [बी] के अधीन] वास्तविक ब्याज भुगतान/देय, जो भी कम है, वह घटाया जा सकता है। अनंतिम प्रमाण पत्र में दिए गए ब्याज के अंतर और बैंक को प्रदत्त/देय वास्तविक ब्याज के संबंध में, व्यक्तिगत निर्धारिती को इस कार्यालय को सूचना देते हुए वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले आयकर के अंतर का भुगतान करना चाहिए। ब्याज के वास्तविक भुगतान की पुष्टि के बाद आयकर विवरणी को दाखिल करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारिती की होती है और तदनुसार आयकर, अगर कोई हो, अनिवार्य रूप से भुगतान करना चाहिए। चौथी तिमाही की विवरणी दाखिल करने के लिए वित्तीय संस्थान, जहां से ऋण प्राप्त किया गया है, की पैन संख्या आवश्यक है। इसलिए, अनुरोध है कि तुरंत इसे कार्यालय को जमा करें।
- 2] धारा 80 सीसीडी [1] में निर्दिष्ट एक निर्धारिती को अपनी कुल आय की गणना में ₹ 50,000/- के कटौती की अनुमति दी जाएगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के तहत अपने खाते में पिछले वर्ष में भुगतान या जमा की गई कुल राशि को उप-धारा [1] के तहत किसी भी कटौती की अनुमति होगी या नहीं, इस पर यह प्रदान किया गया है कि उपखंड 1 के तहत जिस राशि पर कटौती का दावा किया गया है तथा अनुमति दी गई है, उस पर उपधारा के अन्तर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी।
- 3] रकम के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम/मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80-डी के तहत ₹ 25,000/- तक को कटौती की छूट की अनुमति होगी है। प्रीमियम के लिए भुगतान सेवा कर में छूट नहीं है।
- 4] उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए [अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के लिए] स्वयं/पति/बच्चों के लिए वित्तीय/धर्मार्थ संस्थानों से लिए गए ऋण पर वास्तविक ब्याज के लिए धारा 80-ई के तहत छूट की अनुमति दी गई है।

[सीए मनोहरन ए.]

संयुक्त निदेशक [वित्त]

सेवा में,

केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी को सूचना पट्ट के माध्यम से।

केरेबो के सभी प्रत्यायोजित इकाइयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु केरेबो वेबसाइट के माध्यम से।